

ਨਿਯਾਜ਼ ਟੁੱਟੇ

**संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संरचनात्मक सुधारों और कार्यक्रम पुनर्गठन पर प्रगति रिपोर्ट जारी की**

यह रिपोर्ट "शिफ्टिंग पैराडाइम्स: यूनाइटेड टू डिलीवर" शीर्षक से UN80 पहल के वर्कस्ट्रीम 3 के तहत जारी की गई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के लिए एक अधिक समन्वित और प्रभावी रूप से काम करने हेतु संरचनात्मक एवं कार्यक्रमात्मक पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है।

- यह रिपोर्ट कार्यों में आपसी तालमेल, कार्यों के कम दोहराव और अधिक प्रभावी सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है।
  - इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी सुधार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सहित लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाएं।

**इस रिपोर्ट में मुख्य क्षेत्रों के लिए किए गए प्रस्ताव**

  - **शांति एवं सुरक्षा:** इसमें कार्यालयों एवं नेतृत्व स्तरों को एकीकृत करना; शांति की स्थापना एवं महिलाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना आदि शामिल हैं।
  - **संधारणीय विकास:** यूएन एजेंसियों (UNDP व UNOPS, UNFPA एवं यूएन वीमेन) के विलय का आकलन करने; 2026 तक UNAIDS को समाप्त करने, और विशेषज्ञ कार्यबल के लिए संयुक्त ज्ञान केंद्र बनाने की सिफारिश की गई है।
  - **मानवाधिकार:** मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों में समाहित करने के लिए एक समग्र मानवाधिकार समूह बनाना, जिसका नेतृत्व उच्चायुक्त करेगा।
  - **मानवीय सहायता:** ब्यूरोक्रेसी में कटौती के लिए एक नया मानवतावादी सहायता समझौता (New Humanitarian Compact) किया जाना चाहिए।

**प्रभाव को सक्षम करने के लिए पैराडाइम्स शिफ्ट (मौजूदा व्यवस्था में बदलाव)**

  - **प्रौद्योगिकी एवं डेटा:** 'यूएन सिस्टम डेटा कॉमन्स' और एक 'टेक्नोलॉजी एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म' का प्रस्ताव किया गया है, ताकि संचालन को आधुनिक बनाया जा सके तथा डेटा को एकीकृत किया जा सके।
  - **वित्त-पोषण:** सामूहिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधन जुटाना एवं वित्त-पोषण के मुख्य तंत्र में सुधार करना, ताकि इन्हें अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

UN80 पहल के बारे में

- UN80 पहल संयुक्त राष्ट्र की संपूर्ण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने की योजना है। इसका उद्देश्य संगठन को अधिक प्रभावी व दक्ष बनाना, संचालन को व्यवस्थित करना और बदलती दुनिया के लिए प्रासंगिक बनाना है।
- इसे तीन वर्कस्ट्रीम में बांटा गया है:
  - ⦿ पहला: आंतरिक दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार पर केंद्रित है।
  - ⦿ दूसरा: इसमें कार्यान्वयन की समीक्षा करना शामिल है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कार्यों को निर्धारित करने वाले हजारों शासनादेश दस्तावेजों की जांच करना शामिल है।
    - ◆ शासनादेश से तात्पर्य सदस्य देशों द्वारा संगठन को सौंपे गए कार्य या जिम्मेदारी से है।
  - ⦿ तीसरा: इसमें यह पता लगाना शामिल है कि क्या संयुक्त राष्ट्र की संपूर्ण प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव और कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है या नहीं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'वैश्विक जल स्रोतों की स्थिति 2024' रिपोर्ट जारी की

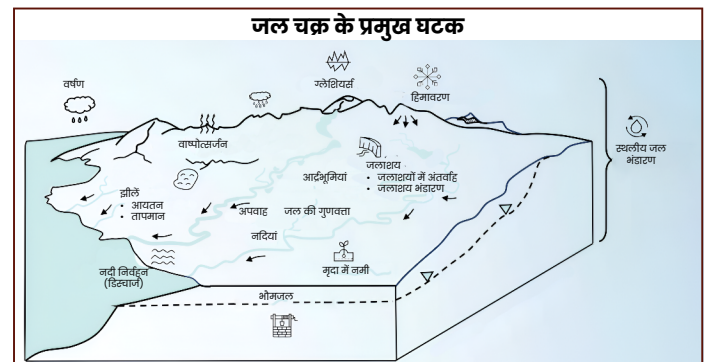
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जल चक्र अब और अधिक अस्थिर एवं चरम होता जा रहा है, जो कभी बाढ़ तो कभी सूखे के रूप में सामने आ रहा है।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **ग्लेशियर का पिघलना:** लगातार तीसरे साल, दुनिया भर के सभी ग्लेशियर क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नुकसान दर्ज किया गया है।
    - ⊕ कई छोटे-छोटे ग्लेशियर क्षेत्र पहले ही "पीक वाटर पॉइंट" तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने की कगार हैं। यह वह स्थिति है, जब किसी ग्लेशियर का पिघलना अपने अधिकतम वार्षिक अपवाह तक पहुंच जाता है, जिसके बाद ग्लेशियर के सिकुड़ने के कारण यह अपवाह कम हो जाता है।
  - **अनियमित जल चक्र:** दुनिया के दो-तिहाई नदी जलग्रहण क्षेत्रों में या तो बहुत ज्यादा पानी है या बहुत कम पानी है।
    - ⊕ यह बढ़ती हुई चरम घटनाओं का कारण बन रहा है, जैसे - अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में असामान्य रूप से भारी वर्षा, यूरोप और एशिया में बड़े पैमाने पर बाढ़, अमेजन बेसिन में सूखा, आदि।

## जल चक्र

- जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर जल की निरंतर गति का वर्णन करता है, जिसमें **पूल एवं फ्लक्स** शामिल होते हैं।
  - ⊕ **पूल** उन विभिन्न रूपों और स्थानों को संदर्भित करता है, जहां पानी जमा होता है, जैसे झील, ग्लेशियर, वायुमंडल, आदि।
  - ⊕ **फ्लक्स** जल के पूल्स के बीच जाने के तरीकों को कहते हैं, जिसमें वाष्पीकरण या संघनन जैसे अवस्था परिवर्तन शामिल हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** वैश्विक जलवायु का गर्म होना जल चक्र को तेज करता है, क्योंकि यह वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है।
  - ⊕ इससे वायुमंडल में जल का जमाव अधिक होता है, जिससे सूखा, भारी वर्षा और तूफान।
  - ⊕ यह ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्री जल के विस्तार के कारण समुद्र के जलस्तर को बढ़ाता है।



## भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाशिए पर मौजूद और सुभेद्य नागरिकों की न्याय तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को उजागर किया

न्याय तक पहुंच का अर्थ है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष, समान और त्वरित तरीके से न्यायिक समाधान प्राप्त हो सके।

» संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39A नागरिकों को न्याय तक पहुंच का अधिकार प्रदान करते हैं।

न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के समक्ष बाधाएं

» भौगोलिक: न्यायालय और लॉ स्कूल ग्रामीण/ दूरस्थ क्षेत्रों से काफी दूर होते हैं।

» भाषा: कानूनी शिक्षा और कार्यवाही मुख्य रूप से अंग्रेजी में होती है।

» आर्थिक: कानूनी शिक्षा और मुकदमेबाजी की लागत बहुत अधिक होती है।

» सामाजिक: इसमें जाति व्यवस्था, निरक्षरता, कानूनी जागरूकता का अभाव शामिल है।

» अन्य: इसमें डिजिटल डिवाइड व भौतिक अवसंरचना का अभाव शामिल हैं। जैसे- अधीनस्थ न्यायालयों में 4.6 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं।

न्याय तक पहुंच के लिए शुरू की गई संस्थागत पहलें

» नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स: इसका उद्देश्य संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ाना और जवाबदेही में सुधार करना है।

» विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

» ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना: इसका उद्देश्य न्यायालयों का डिजिटलीकरण करना है।

आगे की राह

» भाषाई समावेशिता: अदालती कार्यवाही और निर्देशों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

» कानूनी शिक्षा में सुधार: इसके लिए छात्रवृत्ति, मानदेय देने और फीस को माफ करने जैसे उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

» क्षेत्रीय एवं स्थानीय पहुंच: अधिक न्यायालय, लॉ स्कूल और कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करने चाहिए।

» प्रौद्योगिकी एकीकरण: न्याय प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

## घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (PWDV) अधिनियम, 2005 ने 20 साल पूरे किए

इस अधिनियम का उद्देश्य पत्नी या महिला लिव-इन पार्टनर को पति या पुरुष लिव-इन पार्टनर या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है।

» राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की "भारत में अपराध रिपोर्ट, 2022" के अनुसार, 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लगभग 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकांश मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' से जुड़े थे।

अधिनियम के प्रमुख पहलुओं पर एक नजर

» घरेलू हिंसा की परिभाषा: इसमें वास्तविक उत्पीड़न या उत्पीड़न की धमकी शामिल है, चाहे वह शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, या आर्थिक हो। इनमें दहेज की मांग के माध्यम से किया उत्पीड़न भी शामिल है।

» संस्थागत तंत्र: इसके तहत राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करना, सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत करना तथा आश्रय गृहों एवं चिकित्सा सुविधाओं को अधिसूचित करना शामिल हैं।

⊕ संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट देते हैं, पीड़ित महिला को कानूनी सहायता सुनिश्चित करते हैं, और एक सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराते हैं।

⊕ सेवा प्रदाता पीड़ित महिला को कानूनी सहायता, चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करते हैं।

» राहत: पीड़ित महिला विभिन्न प्रकार की राहतों की मांग कर सकती है, जैसे सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, मौद्रिक राहत, आश्रय, और चिकित्सा सुविधाएं।

» निवास का अधिकार: यह अधिनियम घरेलू संबंध में रहने वाली प्रत्येक महिला को साझे घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है।



घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम से संबंधित चिंताएं

» सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं: पीड़िता को दोषी ठहराना और उत्पीड़क पर आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याएं मौजूद हैं।

» संरचनात्मक समस्याएं: आश्रय गृहों की कमजोर व्यवस्था और कम दोषसिद्धि दर प्रभावी सुरक्षा में बाधा डालती हैं।

» संस्थागत अवरोध: महिलाओं में जागरूकता की कमी तथा संरक्षण अधिकारियों और पुलिस की अपर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था।

» दुरुपयोग: इस अधिनियम के अंतर्गत झूठे मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है।

## पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 'सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए

इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं को विकसित करना तथा किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है।

इसमें कहा गया है कि "दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।"

इस समझौते के प्रभाव

- क्षेत्रीय सुरक्षा: सऊदी अरब के लिए यह ईरान, यमन के हूती विद्रोहियों और इजरायल से संबंधित खतरों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करता है।
- परमाणु युद्ध: समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को अपनी परमाणु सुरक्षा देना भी शामिल है, परमाणु युद्ध की चिंताओं को और बढ़ाता है, जबकि इस क्षेत्र में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
- सत्ता के समीकरण में बदलाव: यह क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की पारंपरिक भूमिका को कम करता है, क्योंकि अमेरिका का सहयोगी इजरायल गाजा और अन्य क्षेत्रीय पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है।
  - इससे क्षेत्र में उत्पन्न रणनीतिक शून्य का फायदा चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता है।
- भारत के लिए निहितार्थ: सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के आलोक में पाकिस्तान इस समझौते को भविष्य में भारत के साथ सैन्य टकराव की स्थिति में सामरिक प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

भारत-सऊदी अरब संबंध

- दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को 2010 में रियाद घोषणा के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था।
- आर्थिक: भारत, सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  - 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन था और भारत निवल आयातक बना रहा।
  - 2024 में भारत में आने वाले कुल विप्रेषण (रेमिटेन्स) में लगभग 6.7% सऊदी अरब से आया था।
- ऊर्जा साझेदारी: सऊदी अरब, भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है।

## अन्य सुर्खियां



### चाबहार बंदरगाह

अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह को दी गई 'प्रतिबंधों से छूट' वापस लेने की घोषणा की।

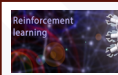
- अमेरिका ने 2018 में ईरान पर लगे प्रतिबंधों से चाबहार बंदरगाह परियोजना को छूट दी थी। चाबहार बंदरगाह के बारे में
- यह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक डीप वाटर पोर्ट है। यह ओमान की खाड़ी में स्थित है।
- यह भारत के सबसे निकटतम ईरानी बंदरगाह है। यह भारत को पाकिस्तान जाए बिना स्थल-रुद्ध अफगानिस्तान तथा अन्य मध्य एशियाई देशों तक पहुँच प्रदान करता है।
- 2024 में, भारत ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) को 10 साल के लिए इस बंदरगाह को विकसित करने और संचालित करने का अधिकार दिया।
- इसके अलावा, यह बंदरगाह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) का भी हिस्सा है। यह गलियारा भारत को यूरोप, रूस, मध्य एशिया आदि से जोड़ता है।



### इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026

हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए प्रमुख पहलों का अनावरण किया। यह पहली बार है जब 'ग्लोबल साउथ' का कोई राष्ट्र AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है।

- यह शिखर सम्मेलन तीन सूत्रों 'पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस' द्वारा निर्देशित है। इसकी परिचर्चा सात थीमेटिक चक्रों- ह्यूमन कैपिटल, इनक्लूजन, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, रेसिलिएंस, साइंस, डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज, और सोशल गुड पर केंद्रित होगी।
- शुरू की गई प्रमुख पहलें:
  - AI पिच फेस्ट (उद्घान): इनोवेटिव AI स्टार्ट-अप्स को प्रदर्शित करने के लिए।
  - युवा, महिला और अन्य प्रतिभागियों के लिए ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजज: AI-संचालित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए।
  - रिसर्च संगोष्ठी: अंतर्राष्ट्रीय AI सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।



### रीइन्फोर्समेंट लर्निंग

डीपसीक-आर1 से पता चलता है कि रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के माध्यम से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में तर्क करने की क्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

रीइन्फोर्समेंट लर्निंग (RL) के बारे में

- यह मशीन लर्निंग की एक प्रक्रिया है जो स्वायत्त एजेंटों द्वारा निर्णय लेने पर केंद्रित है। स्वायत्त एजेंट कोई भी ऐसी प्रणाली हो सकती है जो अपने परिवेश के अनुसार निर्णय ले सकती है और कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए- रोबोट और सेल्फ-ड्राइविंग कारें।
- यह व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना, 'परीक्षण-त्रुटि' (Trial and Error) पद्धति के आधार पर कार्य करती है।
  - एजेंट कोई कार्य करता है, फिर इस अनुरूप उसे पुरस्कार या दंड मिलता है। इस फीडबैक का उपयोग करके वह भविष्य में सुधार करके अधिक पुरस्कार प्राप्त करता है।
- प्रमुख घटक: इसमें एक एजेंट (सीखने वाला), परिवेश (वह संदर्भ जिसमें यह कार्य करता है), और पुरस्कार संकेत (फीडबैक) शामिल होते हैं।



### मेरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप्स (MASS)

प्रोजेक्ट 'स्वायत्त' का उद्देश्य भारत का पहला मेरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप विकसित करना है।

- यह परियोजना इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के नेतृत्व में और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है।
- मेरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप्स (MASS) के बारे में
  - ये ऐसे पोत होते हैं जो बहुत हद तक व्यक्ति द्वारा संचालित न होकर स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) MASS को स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) की चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:
    - पहला स्तर: स्वचालित प्रक्रियाओं और निर्णय-सहायता प्रणालियों वाला पोत।
    - दूसरा स्तर: दूर से नियंत्रित नाविक-युक्त पोत।
    - तीसरा स्तर: दूर से नियंत्रित नाविक-रहित पोत।
    - चौथा स्तर: पूरी तरह से स्वचालित पोत।



### ब्लू पोर्ट

भारत ने देश में ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस साझेदारी में तीन पायलट 'स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर' का विकास शामिल हैं। ये हैं: दीव में वनकबारा, पुडुचेरी में कराईकल और गुजरात में जखाऊ।

FAO की ब्लू पोर्ट्स पहल के बारे में

'ब्लू पोर्ट्स पहल' सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए समुद्री और तटीय क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय क्षेत्रों में बदलने को बढ़ावा देती है।

इसका उद्देश्य फिशिंग हार्बर को स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के लिए रणनीतिक केंद्र बनने में मदद करना है।



### एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS)

हाल ही में, इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (IMCOM) ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के दुरुपयोग की शिकायत की है।

उनका आरोप है कि आयातित कोकिंग कोल का इस्तेमाल निर्यात हेतु इस्पात उत्पादन की बजाय घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले इस्पात में किया जा रहा है।

एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में

इस योजना के तहत ऐसे कच्चे माल को प्रशुल्क-मुक्त आयात करने की अनुमति मिलती है, जो निर्यात किए जाने वाले उत्पादों (SEZs को किए गए निर्यात सहित) के निर्माण में सीधे इस्तेमाल होते हैं। इससे भारतीय निर्यात सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

इसके अलावा, उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले ईंधन, तेल और उत्प्रेरक (catalyst) को भी योजना में शामिल किया जा सकता है।

प्रशासन: यह योजना केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा संचालित की जाती है।



### मातृ मृत्यु दर (Maternal mortality)

पुडुचेरी, शून्य मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र-शासित प्रदेश बन गया है।

मातृ मृत्यु का अर्थ है—गर्भावस्था के दौरान या गर्भ की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु, भले ही गर्भावस्था की अवधि या जगह कुछ भी हो, और यह मृत्यु गर्भावस्था या उसके इलाज/प्रबंधन से संबंधित कारणों से या गर्भावस्था की जटिलता से हुई हो, न कि दुर्घटना या अन्य संयोगवश कारणों से।

मातृ मृत्यु को मापने का प्रमुख सूचक मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG): मातृ मृत्यु दर को प्रत्येक 100,000 जीवित जन्मों पर 70 तक सीमित रखना। (भारत में यह दर 100,000 जन्मों पर 93 है)।

केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक पहले ही SDG लक्ष्य हासिल कर चुके हैं।



### मैंगनीज

मॉयल (MOIL) ने स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज (STE) के रूप में मैंगनीज अयस्क का निर्यात शुरू किया।

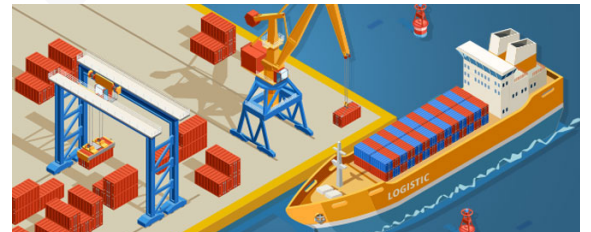
भारत सरकार ने MOIL को भारत से 46% मैंगनीज (Mn) ग्रेड से कम वाले मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज (STE) नियुक्त किया है।

मैंगनीज का रंग चांदी जैसा धूसर होता है और यह बहुत कठोर तथा भुरभुरा होता है।

कुल मैंगनीज भंडार/संसाधनों के मामले में ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है।

मध्यप्रदेश मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य है (2021-22)।

भारत के पास निम्न ग्रेड वाले मैंगनीज अयस्क की अधिकता है, इसलिए ऐसे अयस्क का निर्यात भारत के लिए लाभकारी है।



## सुर्खियों में रहे स्थल



### संयुक्त अरब अमीरात (UAE) (राजधानी: अबू धाबी)

हाल ही में, भारत-UAE 'निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल' की बैठक आयोजित हुई।

भौगोलिक अवस्थिति

UAE सात अमीरातों का संघ है, जिनमें अबू धाबी, दुबई और शारजाह शामिल हैं।

सीमावर्ती देश: इसकी सीमाएँ पश्चिम और दक्षिण में सऊदी अरब से तथा दक्षिण-पूर्व ओमान से लगती हैं।

समुद्री सीमा: पूर्व में ओमान की खाड़ी तथा उत्तर व उत्तर-पश्चिम में फारस की खाड़ी।

भौगोलिक विशेषताएं

यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है।

यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है। इससे होकर बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का ट्रांसपोर्ट होता है।

जलवायु: रेगिस्तानी — गर्मियों में बहुत गर्म और उमस भरा; सर्दियों में गर्म व तेज धूप; पूर्वी पहाड़ों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहता है।

कर्क रेखा UAE (अबू धाबी अमीरात) से होकर गुजरती है।

